Helpline 1064 | 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **सीकर में पुलिस थाना सदर नीमकाथाना का हैड कानिस्टेबल 9 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *20 जून।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की सीकर इकाई द्वारा आज रविवार को कार्यवाही करते हुये पूर्णराम हैड कानिस्टेबल, पुलिस थाना सदर नीमकाथाना, जिला सीकर को परिवादी से 9 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की सीकर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके विरूद्ध दर्ज प्रकरण में उसका एवं उसके भाई का नाम हटाने तथा मुकदमें में मदद करने की एवज में पूर्णराम हैड कानिस्टेबल, पुलिस थाना सदर नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा 9 हजार रूपये रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की सीकर इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री जाकिर अख्तर** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री सुरेश चन्द** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये पूर्णराम पुत्र श्री श्योपाल निवासी बीबीपुरा छोटा, थाना सदर फतेहपुर जिला सीकर हाल हैड कानिस्टेबल पुलिस थाना सदर नीमकाथाना, जिला सीकर को परिवादी से 9 हजार रुपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।